भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2800

जिसका उत्तर मंगलवार, 17 मार्च, 2026/26 फाल्गुन, 1947 (शक) को दिया जाना है।

बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों के लिए आंतरिक समिति

2800. श्री येरेम वेंकट सुब्बा रेड्डी:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या डीओपीटी ने बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों की पहचान करने, ऐसी रिक्तियों के मूल कारण का अध्ययन करने और विशेष भर्ती अभियानों के माध्यम से ऐसी रिक्तियों को भरने के उपाय शुरू करने के लिए एक आंतरिक समिति गठित करने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों की पहचान करने के लिए मंत्रालय द्वारा समिति का गठन कब किया गया था;

(ग) क्या मंत्रालय ने संपर्क अधिकारी नियुक्त किया है और उसके अधीन विशेष आरक्षण प्रकोष्ठ स्थापित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): जी, हां।

(ख): जी, नहीं।

(ग) और (घ): रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में तीन विभाग अर्थात् उर्वरक विभाग (डीओएफ), रसायन एवं पेट्रोकेमिकल्स विभाग (डीसीपीसी) और औषध विभाग (डीओपी) शामिल हैं, जो एमटीएस, डिस्पैच राइडर, स्टाफ कार ड्राइवर और अन्य तकनीकी पदों के लिए कैडर नियंत्रण प्राधिकरण हैं। आरक्षण केवल एमटीएस के पद पर लागू होता है। इसके अलावा, अन्य पदों पर भर्ती एसएससी, यूपीएससी और प्रतिनियुक्ति के माध्यम से की जाती है।

डीओएफ, डीसीपीसी और डीओपी ने एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी के लिए संपर्क अधिकारी नामित किए हैं। डीसीपीसी द्वारा आरक्षण प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है और डीओएफ और डीओपी में संबंधित स्थापना अनुभाग द्वारा संपर्क अधिकारियों को सचिवालय सहायता प्रदान की जाती है। तीनों विभागों के संपर्क अधिकारियों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	**विभाग**	**संपर्क अधिकारी का विवरण**
1	उर्वरक विभाग (डीओएफ)	श्री मोहन लाल मीणा, उप सचिव श्री सुरेन्द्र ठाकुर, उप सचिव
2	रसायन एवं पेट्रोकेमिकल्स विभाग (डीसीपीसी)	श्री गणेश सिंह, उप सचिव श्री सचिन पोरिया, अनुभाग अधिकारी
3	औषध विभाग (डीओपी)	सुश्री खाई लीशिंगम, संयुक्त निदेशक श्री कुमार अमर भारती, निदेशक

******